सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 465/2022
वाद पत्र अं0 धारा 88/188 आर.टी.ए.

कनिष्का पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया आयु 4 वर्ष ना.ज. कु.ब.माता किरणा पत्नि राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ

—वादी

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया
3. उपपंजीयन संगरिया तह संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1. श्री कैलाश सिंवल — वकील वादी
2. श्री हरबंश झोरड़— वकील प्रति स 1

निर्णय **दिनांक :—**

वादी कनिष्का ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् ईस्तकरार हक व स्थाी निषेधाज्ञा के तहत दिनांक 29—08—2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीया एव प्रतिवादी स 1एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है कि वादीया के पिता प्रति वादी स 1 राकेश कुमार पुत्र जगदीश के नाम चक न 4 एम.जे.डी के खाता स 16/12 खाता अमर सिंह वगैरा ज.स 2070—2073 मे साझा खाता मे 0.711है आराजी तथा चक न 4 एम.जे.डी खाता स 73/12 खाता उर्मिला वगैरा ज.स 2070—2073 मे साझा खाता मे 2.067 है आराजी तथा 5 एम.जे.डी के खाता 58/43 खाता जयपाल वगैरा ज स 2070—2073 मे साझा खाता मे 0.945है आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी सलगल वाद पत्र है। कि दावा की दफा 3 मे वर्णित दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स 1 राकेश कुमार पुत्र जगदीश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादीया की जददी जायदाद है। जिसमे वादीय व प्रतिवादी स 1 का ब.हि.ब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी स 1 को विरास्तन प्राप्त हूई हैं। प्रति स. 1 ने अपने नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी का नाजायज फायदा उठाकर चक न 4 एम.जे.डी के खाता स 73/12 मे अपने नाम दर्ज 2.067है आराजी मे से 0.759है आराजी जरिये रजिस्ट्ड बैयनामा बेचान कर दी है उक्त बैयनामा की प्रमाणित प्रति सलग्न है। प्रति स 1 राकेश कुमार पुत्र जगदीश के नाम चक न 4 एम.जे.डी खाता स 73/12 खाता उर्मिला वगैरा ज.स 2070—2073 मे साझा खाता मे 0.954है0 आराजी मे 1/2 यानी 1.866है आराजी का वादीया का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। अत प्रति स 1 के नाम दर्ज कुल 3.732है आराजी मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.866 है आराजी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीया का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है अत प्रति स 1 के नाम दर्ज कुल 3.732है आराजी मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.866है आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार है इसी कदर की घोषणत्मक डिकी वादीया प्राप्त करने की अधिकारी व दावेदार है। यह कि दावा की दफा 3 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रति स 1 जो कि वादीया का पिता है तथा नशा करने का आदि है प्रति स 1 अपने नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी को अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी को अनजान व्यक्तियों को रहन बैय एव अन्तरित करने की फिराक मे है। तथा वादीया के हक व हिस्सा की विरास्तन आराजी को रहन बैय कर खुर्द बुर्द कर रहा है प्रति स 1 ने अपने नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी का नाजायज फायदा उठाकर चक न 4 एम.जे.डी के खाता स 73/12 मे अपने नाम दर्ज 2.067है आराजी मे से 0.759 है आराजी जरिये रजिस्ट्ड बैयनामा बेचान कर दी है उक्त बैयनामा की प्रमाणित प्रति सलग्न है चुकि वादीया नाबालिग है तथा उनका पालन पोषण उनकी माता ही करती है जिसके पास आय का एकमात्र स्त्रोत नही है केवल मात्र उक्त आराजी ही उनकी आय का एकमात्र स्त्रौत है यदी प्रति स 1 अपने नाम दर्ज आराजी का अन्य दिगर व्यक्तियो को रहन बैय कर देते है तो वादीया को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपुर्ति धन मे नही आकी जा सकेगी तथा वादीया अपने राजस्व अधिकारो के स्वतत्र उपयोग व उपभोग से पूर्णतया वंचित हो तथा वादीया के नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो की पुर्णतया अवहेलना व उपेक्षा होगी उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलन वादीय के पक्ष मे है।कि दावा की दफा 3 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीया के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीया के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है तथा प्रति स 1 द्वारा वाद ग्रस्त आराजी रहन बैय व अन्तरित करने से वादीया के खातेदारी अधिकार पूर्णतया प्रभावित होते है इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीया को दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होने मान ले तथा उक्त आराजी को रहन बैय करने से निषेध रहे वादीया क उक्त निवेदन पर पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादीया के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये यही विनाय दावा है कि प्रति स 2 को लैण्ड होल्डर एव प्रतिवादी स 3 पंजीयन अधिकारी होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है चुकि वादीया नाबालिग है इसलिऐ उनकी माता तरफा स ज.कु.व.ली माता किरण पत्नि राकेश कुमार द्वारा उक्त दावा पेश किया गया है। कि वाद वादीया बाबत ईस्तकरार हक एव स्थाई निषेधाज्ञा का है जो कि 4 रू की कोर्ट फीस पर पेश है एव समायत अदालत हाजा एव अन्दर मियाद है। लिहाजा वाद वादीया बाद तहकीकात बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे घोषण इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पिता प्रति वादी स 1 राकेश कुमार पुत्र जगदीश के नाम चक न 4 एम.जे.डी के खाता स 16/12 खाता अमर सिंह वगैरा ज.स 2070–2073 मे साझा खाता मे 0.711है आराजी तथा चक न 4 एम.जे.डी खाता स 73/12 खाता उर्मिला वगैरा ज.स 2070–2073 मे साझा खाता मे 2.067 है आराजी तथा 5 एम.जे.डी के खाता 58/43 खाता जयपाल वगैरा ज स 2070–2073 मे साझा खाता मे 0.945है आराजी यानि कुल 3.732है आराजी मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.866है आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार है इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमलदारामद किया जाकर उक्त चको के उक्त खातो मे से प्रति स 1 का हिस्सा कम किया जावे कि प्रतिवादीगण के विरूध इस स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे चक न 4 एम.जे.डी खाता स 16/12 खाता अमर सिंह वगैरा ज.स 2070–2073 मे साझा खाता मे 0.711है

आराजी तथा चक न 4 एम.जे.डी खाता स 73/12 खाता उर्मिला वगैरा ज.स 2070–2073 मे साझा खाता मे 2.067 है आराजी तथा 5 एम.जे.डी के खाता 58/43 खाता जयपाल वगैरा ज स 2070–2073 मे साझा खाता मे 0.945है आराजी को रहन बैय व अन्य किसी भी तरिके से अन्तरित करने से निषेध रहै ।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीं.सं. 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक राजीनामा चक न. 4 एम.जे.डी खाता स 73/12 ज.स 2073–2078 मे खाता उर्मिला वगैरा मे राकेश पुत्र जगदीश के हिस्सा 1308/6224 मे से 0.759 है0 कृषि भूमि वादीया कनिष्का पुत्री राकेश जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया आयु 4 वर्ष ना.ज.कु.ब.माता किरणा पत्नि राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ के नाम दर्ज किया जावे। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 आराजी को लेकर आपस में राजीनामा हो जाने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीया प्रतिवादी स 1 की पुत्री है जिसका विरासतन प्राप्त भूमि मे हक हिस्सा जन्म से बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीया साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीया के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीया मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीया डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अत : वाद वादीया उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक न. 4 एम.जे.डी खाता स 73/12 ज.स 2073–2078 मे खाता उर्मिला वगैरा मे राकेश पुत्र जगदीश के हिस्सा 1308/6224 मे से 0.759 है0 कृषि भूमि वादीया कनिष्का पुत्री राकेश जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया आयु 4 वर्ष ना.ज.कु.ब.माता किरणा पत्नि राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ के नाम दर्ज किया जाता है। उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 12/04/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 465/2022
वाद पत्र अं.धारा :– 88/188 आर.टी.ए

कनिष्का पुत्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया आयु 4 वर्ष ना.ज.कु.ब.माता किरणा पत्नि राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीया

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया
3. उपपंजीयन संगरिया तह संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांकः–

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीया मिन जामिन मुदई व हरबंश झोरड़ वकील प्रतिवादी स 1 एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती हैः–चक न. 4 एम.जे.डी खाता स 73/12 ज.स 2073–2078 मे खाता उर्मिला वगैरा मे राकेश पुत्र जगदीश के हिस्सा 1308/6224 मे से 0.759 है0 कृषि भूमि वादीया कनिष्का पुत्री राकेश जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया आयु 4 वर्ष ना.ज.कु.ब.माता किरणा पत्नि राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ के नाम दर्ज किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– रहन फक होने पर इतकाल दर्ज किया जावे।

निज.....×.....नल.....×......मुब्लिक......×.......निल......×......बाबत्.....×......निल....×........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......×...अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/04/2023 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया